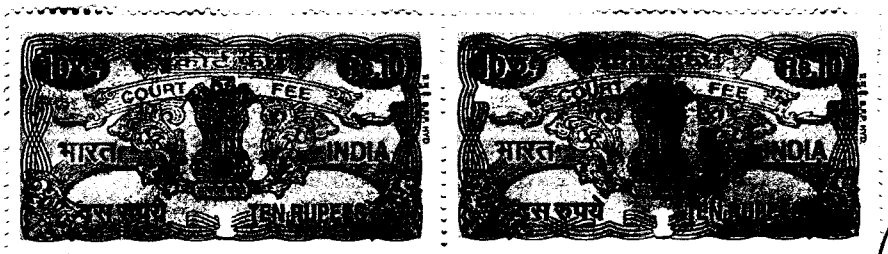

(132)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी R 1065 PBR-17

श्री आलोक शास्त्री अभि. द्वारा [illegible] प्रस्तुत 23.3.17

1. गोरीशंकर पिता लक्ष्मीचंद्र,
2. होकम पिता लक्ष्मीचंद्र, जाति–कुल्मी, निवासीगण–ग्राम पाड़ली तहसील गुलाना जिला शाजापुर ....प्रार्थीगण

---विरूद्ध---

1. श्रीमती संगीता पति रवीन्द्र सुर्यवंशी, निवासी–4/29 छत्रपति शिवाजी नगर फुलखेड़ी शाजापुर (म.प्र.)
2. श्रीमती वंदना पति यशवंतकुमार, निवासी–174, ई. पंचमूर्ति इन्दौर (क्रेता)
3. परबत पिता देवा मृत द्वारा वारिस–

   अ. अम्बाराम

   ब. दुलीचंद

   स. माखनसिंह

   पुत्रगण पर्वत जाति–बलाई, निवासी–ग्राम पाड़ली तहसील गुलाना जिला शाजापुर हालमुकाम रेल्वे स्टेशन रोड़ शाजापुर (म.प्र.)
4. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ह.नं. 32, ग्राम पाड़ली तहसील गुलाना जिला शाजापुर (म.प्र.)

...........प्रतिप्रार्थीगण

विषय– न्यायालय कलेक्टर जिला शाजापुर (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 4/अपील/2016–17 मे पारित आदेश दिनांकित 30–01–2017 के पुनरीक्षण हेतु निगरानी याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत है :–

:: संक्षिप्त–तथ्य ::

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1065–पीबीआर/17 जिला **शाजापुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–5–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर द्वारा आवेदकगण की ओर से मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 35(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार उन्हें नहीं है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील सुनने का क्षेत्राधिकार आयुक्त को है । आवेदक चाहे तो सक्षम अधिकारी के समक्ष 35(4) का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	